

UPPG180002352013



Original Suit/261/2013

न्यायालय सिविल जज (अवर खण्ड), कुण्डा, प्रतापगढ़।
श्रीमती शीला देवी बनाम मुन्नालाल आदि।

दिनांक-०३.०९.२०२४

पत्रावली पेश हुई। बार-बार पुकार कराने पर भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली लंच उपरान्त पुनः पेश हो।

लंच उपरान्त

पत्रावली लंच उपरान्त पुनः पेश हुई। पुकार कराने पर पक्षकार अनुपस्थित। वादी/वादिनी की ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकारों को वाद चलाने में कोई रुचि नहीं है। अतः पक्षकारों की अनुपस्थिति में वर्तमान वाद अन्तर्गत आदेश- ०९ नियम ०३ सिविल प्रक्रिया संहिता निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

हस्तगत वाद पक्षकारों की अनुपस्थिति में अन्तर्गत आदेश ०९ नियम ०३ सिविल प्रक्रिया संहिता निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(सिद्धार्थ शेखर सिंह),
सिविल जज (अवर खण्ड),
कुण्डा, प्रतापगढ़।